छोटी बचत को बड़ी बनाएँ और बीमा भी पाएँ

एलआईसी का

बीमा लक्ष्मी

प्लान सं.: 881   यूआईएन: 512N389V01

एक आकर्षक योजना केवल महिलाओं के लिए

पायें जीवन बीमा सुरक्षा मूल बीमा धन के बराबर

परिपक्वता पर बीमा राशि एवं गारंटीकृत ऑडिशन्स का भुगतान

अतिरिक्त आकर्षक मनी बैक तीन विकल्पों के अनुसार देय

ऑनलाइन भी उपलब्ध

एक नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/P1/2025-26/17/Hin/SB

एलआईसी की बीमा लक्ष्मी
(यूआईएन: 512N389V01)
(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी की बीमा लक्ष्मी एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है, जिसे **विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन** किया गया है। यह योजना एक सीमित प्रीमियम भुगतान योजना है, जिसमें गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ शामिल होती हैं और इसके अंतर्गत चयनित विकल्प के अनुसार जीवन बीमा, बचत और उत्तरजीविता हितलाभ भी उपलब्ध होते हैं। यह योजना जीवित पॉलिसीधारक को परिपक्वता के समय अर्जित गारंटीड अभिवृद्धियों के साथ एकमुश्त भुगतान भी प्रदान करती है। इसके अलावा इस योजना में ऋण सुविधा के माध्यम से नकदी की ज़रूरतों को भी पूरा करने की व्यवस्था होती है।

यह एक गैर–सममूल्य उत्पाद है जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजिविता पर देय हितलाभ गारंटीकृत और वास्तविक अनुभव से परे तय किए जाते हैं। इसलिए यह पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन हितलाभ की पात्र नहीं है।

इस योजना को अनुज्ञा प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदा जा सकता है और साथ ही इसे निगम की वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। हालाँकि, यह पॉइंट ऑफ़ सेल्स पर्सन–लाइफ़ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रत्याशित पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय उनके द्वारा इस उत्पाद की विशेषताओं, जिनमें संबद्ध जोखिम एवं हितलाभ शामिल हैं, का संदर्भ लिया जा सकता है और ऐसे उत्पाद/इस उत्पाद के अंतर्गत विकल्प चुने जा सकते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

1. मुख्य विशेषताएं:

- यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई एक व्यापक बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, बचत और उत्तरजीविता हितलाभ उपलब्ध होते हैं।
- पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ।
- योजना के अंतर्गत तीन विकल्पों में से उत्तरजीविता हितलाभ चुनने की सुविधा।
- इसमें उत्तरजीविता हितलाभ की प्राप्ति को स्थगित करने का विकल्प है।
- निम्नांकित के लिए लचीलापन:
  - o 7 से 15 वर्ष तक की प्रीमियम भुगतान अवधियों में से कोई एक चुनें।
  - o परिपक्वता/मृत्यु हितलाभ का भुगतान किस्तों में करने का विकल्प चुनें।
- तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों के भुगतान के बाद स्वत: बीमा–सुरक्षा की सुविधा।
- उच्च बीमा राशि के लिए आकर्षक प्रोत्साहन राशि का लाभ।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडरों का विकल्प चुनकर बीमा–सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध

ए	प्रवेश की न्यूनतम आयु	18 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
बी	प्रवेश की अधिकतम आयु	50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
सी	पॉलिसी की अवधि	25 वर्ष
डी	प्रीमियम भुगतान अवधि	7 वर्ष से 15 वर्ष
इ	न्यूनतम मूल बीमा राशि	₹ 200,000
एफ	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं, मंडल अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अधीन।
जी	मूल बीमा राशि गुणक	(मूल बीमा राशि 10,000 रुपये के गुणकों में होगी।)

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि: इस योजना के अंतर्गत, जोखिम की शुरुआत जोखिम के स्वीकृत होने की तिथि से ही तुरंत हो जाएगी।

3. हितलाभ

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, अर्थात सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि के साथ **"मृत्यु पर बीमित राशि"** होगी।

"मृत्यु पर बीमित राशि" को मूल बीमित राशि या (सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम *गुणित* मॉडल समायोजन कारक) के 10 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए समस्त प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा।

जहाँ,

(i) मॉडल समायोजन कारक पॉलिसीधारक द्वारा चयनित प्रीमियम भुगतान विधि पर निर्भर होगा और वह निम्नानुसार होगा :

प्रीमियम भुगतान विधि	**मॉडल समायोजन कारक**
वार्षिक	1.0000
अर्द्ध–वार्षिक	1.0180
त्रैमासिक	1.0272
मासिक	1.0332

(ii) **"सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम"** जीवन बीमित की आयु और किसी भी छूट या लोडिंग या किसी भी अतिरिक्त बीमांकन की अनुमति देने से पहले चयनित प्रीमियम भुगतान अवधि के आधार पर चुने गए उत्तरजीविता हितलाभ विकल्प और मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम होगी, और इसमें कोई कर और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

(iii) **"भुगतान की गई कुल प्रीमियम"** का अर्थ है आधार उत्पाद के अंतर्गत भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं है, यदि स्पष्ट रुप से एकत्र किया गया हो।

बी. परिपक्वता संबंधी हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के समापन तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, गारंटीड अभिवृद्धि, के साथ **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** देय होगी। जहाँ, **"परिपक्वता पर बीमा राशि"** मूल बीमा राशि के बराबर है।

सी. उत्तरजीविता हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक निर्दिष्ट अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, एकमुश्त या मूल बीमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत उत्तरजीविता हितलाभ बीमित व्यक्ति को प्रस्ताव चरण में चुने गए विकल्प के आधार पर आवधिक अंतराल पर देय होगा। एक बार चुने गए इस विकल्प को बाद में बदला नहीं जा सकता।

विकल्प ए:

प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत में मूल बीमा राशि का 50% उत्तरजीविता लाभ के रूप में देय होगा।

विकल्प बी और विकल्प सी:

बीमित व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट पॉलिसी वर्षों के अंत तक जीवित रहने पर, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, चुने गए विकल्प के अनुसार मूल बीमा राशि के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर राशि उत्तरजीविता लाभ के रूप में देय होगी। निम्नलिखित तालिका में उत्तरजीविता हितलाभों के भुगतान की आवृत्ति और चयनित विकल्प के लिए देय उत्तरजीविता हितलाभों के प्रतिशत का विवरण दिया गया है।

पॉलिसी वर्ष की समाप्ति	मूल बीमा राशि के % के रूप में उत्तरजीविता हितलाभ	
	विकल्प बी	विकल्प सी
2	7.5%	---
4	7.5%	15%
6	7.5%	----
8	7.5%	15%
10	7.5%	----
12	7.5%	15%
14	7.5%	----
16	7.5%	15%
18	7.5%	----
20	7.5%	15%
22	7.5%	----
24	7.5%	15%

पॉलिसीधारक को प्रस्ताव चरण में ही उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा।

डी. चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ:

एक चालू पॉलिसी (जिसमें सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया है) के अंतर्गत, पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी। एक चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर, भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम का 7% होगी।

यदि कोई पॉलिसी अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र है (अर्थात उच्च मूल बीमित राशि के लिए प्रोत्साहन राशि, मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए या ऑनलाइन विक्रय के लिए प्रोत्साहन राशि), तो पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि की लागू दर निर्धारित करने के लिए उपरोक्त गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर को संबंधित प्रोत्साहन राशि द्वारा बढ़ाया जाएगा। ऐसी प्रोत्साहन राशि(याँ) वृद्धिगत प्रकृति की होती हैं, इसलिए यदि कोई पॉलिसी एक से अधिक प्रोत्साहन राशियों के लिए पात्र है, तो ऐसी सभी प्रोत्साहन राशियाँ उपरोक्त गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में जोड़ी जाएँगी।

एक पॉलिसी वर्ष में चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ गारंटीकृत अभिवृद्धियों की लागू दर *गुणित* भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के गुणनफल के बराबर होगी।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होंगी।

पूर्णतः चुकता पॉलिसी के मामले में (जहां पॉलिसी की संपूर्ण प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए देय सभी प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है), प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में गारंटीकृत अभिवृद्धियां अर्जित होती रहेंगी तथा यह चालू पॉलिसी के लिए लागू होगी।

4. उपलब्ध विकल्प

I. राइडर हितलाभ :

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित चार वैकल्पिक राइडर्स (या इनके संशोधित स्वरूप) उपलब्ध हैं। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर में से किसी एक को तथा/या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पात्रता के अधीन बाकी दो राईडर्स को चुना जा सकता है।

ए) <u>एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B209V02)</u>

इसे मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना के साथ-साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन यह पॉलिसी की वर्षगाँठ से पहले होना चाहिए, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 60 वर्ष है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी की वर्षगांठ से पहले जिस दिन बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष, जो भी पहले हो उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है तो दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) विकलांगता होने पर दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना लाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना लाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B203V03)

इसे मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना के साथ–साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन यह पॉलिसी की वर्षगाँठ से पहले होना चाहिए, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 60 वर्ष है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि के साथ एकमुश्त रूप में देय होगी।

सी) एलआईसी का नया टर्म एश्योरेन्स राइडर (यूआईएन: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत लाभ कवर पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो राइडर अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म राइडर बीमा राशि के बराबर राशि देय होगी, बशर्ते राइडर बीमा–सुरक्षा चालू हो।

डी) एलआईसी का महिला गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर (यूआईएन:512B226V01)

यह राइडर केवल पॉलिसी की शुरुआत में ही उपलब्ध है। पॉलिसीधारक के पास कुछ पात्रता शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होकर, शुरुआत में निम्नलिखित तीन मॉड्यूलों में से किसी एक या सभी को चुनने का विकल्प होता है।

- **मॉड्यूल 1 :** प्रारंभिक चरण का कैंसर/कार्सिनोमा–इन–सीटू/प्रमुख कैंसर
- **मॉड्यूल 2 :** महिलाओं में आम सर्जरी/बीमारियाँ
- **मॉड्यूल 3 :** गर्भावस्था संबंधी जटिलताएँ और जन्मजात विसंगतियाँ

एलआईसी के महिला गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर के अंतर्गत प्रीमियम, मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। सभी जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियम मूल योजना की प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। एलआईसी की महिला गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर के संबंध में अधिकतम राइडर बीमा राशि, मूल उत्पाद के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि के 50% के बराबर या रु. 5 लाख, जो भी कम हो, होगी। अन्य सभी राइडरों के अंतर्गत मिलने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. (परिपक्वता हितलाभ के लिए) निपटान विकल्प:

निपटान विकल्प चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को बीमित व्यक्ति द्वारा इस विकल्प का उपयोग पॉलिसी के तहत देय परिपक्वता लाभ प्राप्त किया जाता है। बीमित व्यक्तियों द्वारा, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि के पूर्ण मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
त्रैमासिक	रु. 15,000/–
अर्द्ध–वार्षिक	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

अगर दावे की शुद्ध राशि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष वार्षिक प्रभावी दर से कम नहीं होगी जो कि छमाही जी–सेक दर मायनस 2% होगी; जहां 10 वर्षीय जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना के लिए प्रभावी ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करना, बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या त्रैमासिक या अर्द्ध–वार्षिक या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

ए. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प चुना है, उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ लेना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाएगा,

- भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य;

  या

- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प चुना गया था)– (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

बी. भविष्य के किस्त भुगतानों को डिस्काउंट करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर 10 वर्ष तक के लिए छमाही जी–सेक दर से वार्षिक प्रभावी दर होगी; जहां 10 वर्ष की छमाही जी–सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को आरम्भ गया था, के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों के लिए प्रयुक्त, या भविष्य की किस्तों में छूट देने वाली अधिकतम प्रभावी ब्याज दर 6.62% प्रति वर्ष होगी।

सी. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, जारी रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव की अनुमति नही होगी।

III. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:

यह एक विकल्प है, जिसके अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है और इसे चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में प्रदान किया जाता है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ का पूरा या आंशिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) या तो पूर्ण मूल्य के रूप में या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
त्रैमासिक	रु. 15,000/-
अर्द्ध–वार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

अगर दावे की कुल राशि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 10 वर्ष वार्षिक प्रभावी दर से कम नहीं होगी जो कि छमाही जी–सेक दर मायनस 2% होगी; जहां 10 वर्षीय जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना के लिए प्रभावी ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के प्रचलन में रहते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है, तथा उसे किस्त भुगतान की अवधि और शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट करनी होगी, जिसके लिए इस विकल्प का प्रयोग किया जाना है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

IV. उत्तरजीविता हितलाभ आस्थगन का विकल्प:

पॉलिसीधारक के पास चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी उत्तरजीविता हितलाभ को स्थगित करने का विकल्प होगा। यह विकल्प तीनों विकल्पों, अर्थात विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी के अंतर्गत उपलब्ध है और यह निम्नांकित के अधीन है:

i) इस विकल्प का उपयोग विकल्प ए के अंतर्गत एक बार और विकल्प बी तथा विकल्प सी के अंतर्गत अधिकतम दो उत्तरजीविता हितलाभों के लिए किया जा सकता है, बशर्ते उत्तरजीविता हितलाभ प्राप्ति की तिथि से बकाया पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। बीमित व्यक्ति को विकल्प बी और विकल्प सी के अंतर्गत प्रत्येक उत्तरजीविता हितलाभ के लिए अलग–अलग, लेकिन उत्तरजीविता हितलाभ की देय तिथि से 90 दिन पहले, इस विकल्प का उपयोग करना होगा।

ii) आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभ को उसकी देय तिथि से 5 वर्षों के लिए लागू संचय दर पर संचित किया जाएगा।

iii) ऐसे आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभ का संचित मूल्य पॉलिसीधारक को उसकी संबंधित देय तिथि से 5वें वर्ष के अंत में देय होगा।

iv) 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलने वाली 12 महीने की अवधि के भीतर आस्थगित और समाप्त होने वाले उत्तरजीविता हितलाभ के लिए लागू संचय दर 5–वर्षीय वार्षिक जी–सेक प्रतिफल में से 50 आधार अंक घटाकर उसके बराबर होगी, जहां 5 वर्ष की वार्षिक जी–सेक प्रति वर्ष प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के रूप में होगा। 1 मई 2025 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक की 12 महीने की अवधि में आस्थगित और समाप्त होने वाले उत्तरजीविता हितलाभों के लिए लागू संचय दर 6.09% प्रति वर्ष होगी।

उपरोक्त संचय दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

v) इस विकल्प का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण बकाया न हो।

vi) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने या पॉलिसी के परिपक्व होने, जो भी पहले हो, की स्थिति में मृत्यु या परिपक्वता की तिथि तक स्थगित उत्तरजीविता हितलाभ भुगतान का अर्जित मूल्य (यदि कोई हो) देय होगा।

vii) पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, में आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभों का संचित मूल्य भी शामिल होगा, जिसकी पुनर्गणना उत्तरजीविता हितलाभ भुगतान की संबंधित देय तिथि से पॉलिसी के अभ्यर्पण की तिथि तक पूर्ण महीनों के लिए संशोधित संचय दर पर की जाएगी।

viii) पॉलिसीधारक उत्तरजीविता हितलाभ आस्थगन विकल्प का प्रयोग करने के बाद किसी भी समय इसे निरस्त कर सकता है। ऐसे निरस्तीकरण पर आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभ भुगतानों की पुनर्गणना संचित मूल्य उत्तरजीविता हितलाभ की संबंधित देय तिथि से उत्तरजीविता हितलाभ आस्थगन विकल्प के निरस्तीकरण की तिथि तक पूर्ण महीनों के लिए संशोधित संचय दर पर की जाएगी और भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा। निरस्तीकरण की तिथि के बाद देय होने वाले सभी उत्तरजीविता हितलाभों का भुगतान यदि कोई हो, उनकी संबंधित देय तिथियों पर किया जाएगा।

ix) पॉलिसी के अभ्यर्पण या विकल्प के निरस्तीकरण के ऐसे मामलों में, संचित मूल्यों की पुनर्गणना के लिए लागू दर, उपरोक्त (बिंदु (iv)) के अनुसार गणना की गई संबंधित देय तिथि पर लागू संचय दर में से 100 आधार अंक घटाकर उसके बराबर होगी।

x) पॉलिसी के अभ्यर्पण या विकल्प के निरस्तीकरण के मामले में, 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान देय और आस्थगित उत्तरजीविता हितलाभ भुगतान, संचित मूल्यों की पुनर्गणना के लिए लागू दर 5.09% प्रति वर्ष होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान

पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकता है और प्रीमियम भुगतान की विधि वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से) या वेतन कटौती के माध्यम से हो सकती है।

6. अनुग्रह अवधि

भुगतान न हुई प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ चालू मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

7. नमूना हेतु उदाहरणात्मक प्रीमियम

ऑफलाइन बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए विभिन्न प्रीमियम भुगतान अवधि के अंतर्गत 35 वर्ष की आयु के मानक जीवन के लिए 2 लाख रुपए की मूल बीमा राशि के लिए नमूना हेतु उदाहरणात्मक वार्षिक प्रीमियमें निम्नानुसार हैं:

(राशि रु. में)

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)	विकल्प ए के लिए वार्षिक प्रीमियम	विकल्प बी के लिए वार्षिक प्रीमियम	विकल्प सी के लिए वार्षिक प्रीमियम
7	47,840	56,700	54,470
8	40,990	50,190	48,230
9	35,880	45,350	43,580
10	34,480	44,940	43,190
11	30,890	41,470	39,860
12	27,990	38,660	37,160
13	25,600	36,340	34,940
14	23,590	34,390	33,060
15	22,590	33,780	32,480

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।

8. प्रीमियम रुपांतरण गुणक

प्रीमियम भुगतान के विभिन्न माध्यमों हेतु लागू प्रीमियम रुपांतरण घटक निम्न अनुसार हैं:

प्रीमियम भुगतान का माध्यम	प्रीमियम रुपांतरण गुणक
वार्षिक	1.0000
अर्ध–वार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

वार्षिक विधि के अलावा अन्य देय प्रीमियमों की गणना लागू प्रीमियम रूपांतरण गुणक को वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके की जाएगी।

9. प्रोत्साहन राशियाँ

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि को गारंटीकृत अभिवृद्धि दर में वृद्धि के रूप में दिया जाएगा। भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धियों के संदर्भ में प्रोत्साहन राशियाँ निम्नानुसार होंगी:

उच्च बीमित राशि के लिए प्रोत्साहन राशि (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि दर)					
पीपीटी (वर्ष)	मूल बीमित राशि (रु.)				
	2,00,000 से लेकर 5,00,000 से कम तक	5,00,000 से लेकर 10,00,000 से कम तक	10,00,000 से लेकर 15,00,000 से कम तक	15,00,000 से लेकर 25,00,000 से कम तक	25,00,000 और उससे अधिक
7 से 9	शून्य	0.25%	0.35%	0.40%	0.45%
10 से 15	शून्य	0.30%	0.40%	0.45%	0.50%

II. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि:

किसी अभिकर्ता/मध्यस्थ की सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किए गए प्रस्ताव गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर में वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होगा। भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होंगी:

प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) (वर्ष)	गारंटीकृत अभिवृद्धि दर (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में)
7 से 9	0.75%
10 से 14	1.25%
15	1.50%

III. मौजूदा पॉलिसीधारक और मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि:

प्रोत्साहन राशि गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में उपलब्ध होगी।

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के मौजूदा पॉलिसीधारकों, जिनमें मृतक पॉलिसीधारक के नामित या लाभार्थी भी शामिल हैं, के लिए भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत अभिवृद्धि के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन राशि	
	पीपीटी (वर्षों में)	गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)
यदि किसी मौजूदा पॉलिसीधारक के पास निगम की पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो गई है और उसके द्वारा इस योजना को अपने जीवन और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर खरीदा जाता ह*; **या** यदि यह योजना निगम के मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहाँ मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर है; **या** यदि यह योजना किसी मौजूदा पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी जाती है, जिसके पास निगम की एक चालू पॉलिसी है। *(*परिवार के सदस्यों का अर्थ है दादा-दादी, माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे या पोते-पोतियाँ)*	7 से 11	0.05%
	12 से 15	0.10%

10. पुनर्चलन

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह के दिनों के समापन के पहले नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनचलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है।

निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या स्थगित पॉलिसी के पुनचर्लन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी का पुनर्चलन केवल उसे निगम द्वारा स्वीकृत करने एवं पॉलिसीधारक को विशेष रूप से इसके बारे में पुनर्चलन रसीद जारी किए जाने के बाद प्रभावी होगा।

1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम

कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, असहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 9.50% प्रति वर्ष होगी।

पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

कालातीत या चुकता पॉलिसी के पुर्नचलन पर, पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, जो कि पॉलिसी के कालातीत या चुकता होने की तिथि से पहले उपलब्ध थे, बहाल हो जाएंगे।

यदि पुनर्चलन अवधि प्रीमियम भुगतान अवधि से आगे बढ जाती है और पॉलिसी को उत्तरजीविता लाभ की नियत तिथि के बाद पुनर्जीवित किया जाता है, तो चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण उत्तरजीविता लाभ और चुकता पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पहले से भुगतान किए गए उत्तरजीविता लाभ के बीच का अंतर पॉलिसीधारक को भुगतान किया जाएगा। चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय गारंटीकृत अभिवृद्धियों और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत कम की गई गारंटीकृत अभिवृद्धियों के बीच का अंतर भी पॉलिसी के अंतर्गत अर्जित होगा। पॉलिसी के पुनर्चलन के बाद, चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ पॉलिसी के अंतर्गत अर्जित होती रहेंगी।

राइडर (र्स) का पुनर्चलन, अगर चुना गया हो, तो केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ विचारणीया होगा तथा अलग से नहीं किया जाएगा।

11. चुकता मूल्य

इस पॉलिसी के संबंध में यदि एक वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम चुकाने के बाद भी किसी भी आगामी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है, तो पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर, पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"मृत्यु पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह मृत्यु पर बीमा राशि *गुणित* उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे, के बराबर होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह **परिपक्वता पर बीमा राशि** *गुणित* उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे, के बराबर होगी।

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

I. **यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम, किन्तु 3 पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो :**

ए) अनुग्रह अवधि पूरी होने के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर:

मृत्यु पर चुकता बीमा राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, लागू दरों पर अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि भी देय होगी।

बी) परिपक्वता तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर :

परिपक्वता चुकता बीमा राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, लागू दरों पर अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि भी देय होगी।

II. **यदि कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।**

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जहाँ कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, निम्नांकित स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि लागू होगी।

स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि :

किसी चुकता पॉलिसी के अंतर्गत "स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि" भुगतान न हुई पहली प्रीमियम (एफयूपी) की देय तिथि से अवधि होगी। स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि की अवधि निम्नानुसार होगी:

1. यदि किसी पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम तीन पूर्ण वर्षों की, किन्तु पांच पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी आगामी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है: तो छह महीने की स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि उपलब्ध होगी।

2. यदि किसी पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पांच पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद की किसी भी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है: तो 2 वर्षों की स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि उपलब्ध होगी।

ए. स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

1. अनुग्रह अवधि पूरी होने के बाद लेकिन स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर : मृत्यु हितलाभ, जो कि चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय है, (ए) मूल पॉलिसी के संबंध में मृत्यु की तिथि तक भुगतान न हुई प्रीमियम, उस पर ब्याज सहित, तथा (बी) मूल पॉलिसी के लिए मृत्यु की तिथि से और अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय शेष प्रीमियम, यदि कोई हो, की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा।

   स्वत: बीमा–सुरक्षा के दौरान मृत्यु हितलाभ का यह प्रावधान स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि के दौरान आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 11बी (1) या अनुच्छेद 18, जो भी लागू हो, के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

2. परिपक्वता पर: परिपक्वता पर चुकता बीमित राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त, परिपक्वता पर लागू दरों पर अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ भी देय होंगी।

बी. स्वत: बीमा–सुरक्षा अवधि की समाप्ति के बाद चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

1. मृत्यु होने पर: मृत्यु पर चुकता बीमा राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त लागू दरों पर अर्जित गारंटीकृत अतिरिक्त राशि भी देय होगी।

2. परिपक्वता पर: परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त लागू दरों पर अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ भी देय होंगी।

   चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत उत्तरजीविता हितलाभ:

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय उत्तरजीविता हितलाभ, चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय उत्तरजीविता हितलाभ *गुणित* पहले से भुगतान की गई प्रीमियम की कुल अवधि और वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं, का अनुपात, के बराबर होगा। ये उत्तरजीविता हितलाभ चयनित विकल्प के अनुसार पॉलिसी अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधि में से प्रत्येक तक जीवित रहने पर बीमित व्यक्ति को देय होंगे।

हालाँकि, यदि उत्तरजीविता हितलाभ(भों) को आस्थगन करने का विकल्प चुना गया है और ऐसे उत्तरजीविता हितलाभ(भों) का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, तो उपरोक्त अनुच्छेद 4.IV में निर्दिष्ट ये संचित उत्तरजीविता हितलाभ, मृत्यु, अभ्यर्पण या परिपक्वता के रूप में पॉलिसी की समाप्ति, जो भी पहले हो, हितलाभ के साथ देय होंगे।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ:

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि, पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अतिरिक्त राशि निम्नांकित का योग होगी:

ए) उस अवधि के लिए, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है : पॉलिसी के अंतर्गत अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, चालू पॉलिसी के अंतर्गत लागू दर के साथ पॉलिसी के अंतर्गत संलग्न रहेंगी।

बी) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है (वह वर्ष जिसमें पॉलिसी चुकता हो जाती है) और आगामी वर्षों के लिए: गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ निम्नानुसार होंगी:

(i) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसके लिए पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, गारंटीकृत अभिवृद्धि उस पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगी और यह चालू पॉलिसी के लिए लागू दर के साथ, चालू अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि का योग होगी तथा पॉलिसी की भुगतान अवधि के लिए आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि, चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर के साथ होगी (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है)।

(ii) पॉलिसी अवधि के दौरान आगामी पॉलिसी वर्षों के लिए, गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के अंत में चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर के साथ अर्जित होंगी (जैसा कि नीचे उल्लेखित है)।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर, चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धियों की लागू दर (जैसा कि अनुच्छेद 3डी में निर्दिष्ट है) *गुणित* वह कुल अवधि, जिसके लिए वार्षिक प्रीमियमों का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं, के अनुपात के गुणनफल के बराबर होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की यह दर चुकता पॉलिसी के अंतर्गत समान रहेगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, जो प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी, वे चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धियों की दर (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है) गुणित भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के गुणनफल के बराबर होंगी। ये गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ उस अवधि के दौरान समान रहेंगी, जब तक पॉलिसी चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहती है।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु का दावा हुआ है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए न्यूनकृत गारंटीकृत अभिवृद्धि को उस पॉलिसी वर्ष के लिए पूरे हुए महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ा जाएगा, जिसमें पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु का दावा हुआ था (अर्थात मृत्यु की तिथि तक की अवधि)।

इसके बाद इस प्रकार न्यूनकृत पॉलिसी उल्लेखित प्रीमियमों के भुगतान के लिए सभी देनदारियों से मुक्त हो जाएगी।

यदि पॉलिसी कालातीत हो जाती है तो राइडर कोई चुकता मूल्य अर्जित नहीं करता है तथा राइडर हितलाभ समाप्त हो जाते हैं।

12. अभ्यर्पण

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी लेने के 1 वर्ष बाद किसी भी समय अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के रूप में अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

ए) गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और किसी भी अर्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्यर्पण मूल्य; या

बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य.

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान की गई प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियम, करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है, और राइडरों के लिए प्रीमियम, यदि चयनित हो) गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक के गुणनफल में से पॉलिसी के अंतर्गत पहले से देय और बकाया किसी भी उत्तरजीविता हितलाभ से घटाकर उसके प्रतिफल के बराबर होगा। यदि उत्तजीविता हितलाभ आस्थगन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे उत्तरजीविता हितलाभ(भों) का भुगतान, जो देय थे, लेकिन जिनका भुगतान नहीं किए गए हैं, तो गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य ऐसे भुगतान नहीं हुए उत्तरजीविता हितलाभ(भों) से कम कर दिया जाएगा।

ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक कुल प्रीमियम्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे. इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों के लिए लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि 25 वर्ष
1	0.00%
2	30.00%
3	35.00%
4	50.00%
5	50.00%
6	50.00%
7	50.00%

8	51.60%
9	53.01%
10	54.52%
11	56.02%
12	57.54%
13	59.04%
14	60.56%
15	62.06%
16	63.56%
17	65.08%
18	66.58%
19	68.09%
20	69.59%
21	71.11%
22	72.62%
23	74.12%
24	90.00%
25	90.00%

जीएसवी की गणना के लिए, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि और उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है, पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ शामिल होंगी। लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि अनुच्छेद 3डी और अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

किसी भी उपार्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्यर्पण मूल्य उपार्जित गारंटीड एडीशन्स को उपार्जित गारंटीड एडीशन्स पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक उपार्जित गारंटीड एडीशन्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे। इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

उपार्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि 25 वर्ष
1	0.00%
2	0.00%
3	15.28%
4	15.42%
5	15.55%
6	15.72%
7	15.93%

8	16.22%
9	16.58%
10	17.03%
11	17.58%
12	17.58%
13	17.66%
14	17.85%
15	18.16%
16	18.60%
17	19.18%
18	19.93%
19	20.85%
20	21.99%
21	23.38%
22	25.05%
23	27.06%
24	30.00%
25	35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

राइडर (यदि कोई हो) पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान के बाद, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और लाभ देय नहीं होगा।

13. पॉलिसी ऋण

पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के भीतर उपलब्ध होगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

iii. इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण की ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन तक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, असहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 9.50% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तनाधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्वसमापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. पॉलिसी से बाहर निकलते समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

14. कुछ घटनाओं में जब्ती

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी दबाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

15. पॉलिसी की समाप्ति

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) अनुच्छेद 13 iv में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि चुकता पॉलिसी का दर्जा प्राप्त नहीं हुई पॉलिसी को पुनर्चलन की अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है; या

जी) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) उपरोक्त अनुच्छेद 14 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में.

16. कर

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा

योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

देय प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की अतिरिक्त प्रीमियमों यदि कोई हो सहित राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

17. निशुल्क अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्ति जो भी पहले हो की तिथि से 30 दिनों के भीतर पॉलिसी को आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम राइडर को रद्द कर देगा और कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (इस राइडर के लिए) में कटौती करने के बाद राइडर के संबंध में जमा प्रीमियम की राशि वापस कर देगा, राइडर को शामिल करने के कारण चिकित्सा परीक्षा (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो) पर किए गए खर्च और स्टांप ड्यूटी शुल्क।

18. आत्महत्या अपवर्जन

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियमों के 80% को छोड़कर अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा, (किसी भी कर को छोड़कर, यदि इसे स्पष्ट रूप से लिया गया है, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या फिर विक्षिप्त) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% में से जो भी अधिक होगा, देय होगा। (किसी भी कर को छोड़कर, यदि इसे स्पष्ट रूप से लिया गया है, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, देय होगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। य ह अनुच्छेद चुकता मूल्य आर्जत किए बिना कालातीत होने वाली पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

आत्महत्या के कारण मृत्यु होने के मामले में स्वत: बीमा–सुरक्षा के अंतर्गत छूट लागू नहीं होगी।

19. नमूना हितलाभ चित्रण

इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह चित्रण अभिकर्ता/मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के लिए एक मानक महिला जीवन (चिकित्सा और जीवनशैली के दृष्टिकोण से) पर लागू होता है।

उदाहरण I :

वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन_नए_ग्राहक
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	ABC
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	35
पॉलिसी अवधि:	25
प्रीमियम भुगतान की अवधि:	10
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	34,480
(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	वार्षिक

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्षवार प्रीमियम और हितलाभों को दर्शाता है।

पॉलिसी संबंधी विवरण	
पॉलिसी विकल्प	A
मूल बीमा राशि	200,000
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	344,800

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर[1]	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	34,480.00		34,480.00
पहले वर्ष की जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	34,480.00		34,480.00
दूसरे वर्ष से जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	34,480.00		34,480.00

नोट: जीएसटी दर समय–समय पर लागू होगी। वर्तमान में यह छूट प्राप्त है।

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)"	वार्षिक प्रीमियम2 (संचित)	गारंटीड हितलाभ			गारंटीड हितलाभ		गैर गारंटीड हितलाभ	
		गारंटीड अभिवृद्धि[3]	उत्तरजीविता हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ5	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)[4]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)[4]	देय अभ्यर्पण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	34480	2414	0	0	347214	0	11466	11466
2	68960	7241	0	0	352041	20688	27179	27179
3	103440	14482	0	0	359282	38417	47544	47544
4	137920	24136	0	0	368936	72682	72988	72988
5	172400	36204	0	0	381004	91830	103913	103913
6	206880	50686	0	0	395486	111408	140752	140752
7	241360	67581	0	0	412381	131446	183859	183859
8	275840	86890	0	0	431690	156427	233735	233735
9	310320	108612	0	0	453412	182509	290588	290588
10	344800	132748	100000	0	477548	210592	354845	354845
11	344800	156884	0	0	501684	120737	272645	272645
12	344800	181020	0	0	525820	130221	291593	291593
13	344800	205156	0	0	549956	139800	311858	311858
14	344800	229292	0	0	574092	149740	333456	333456
15	344800	253428	0	0	598228	160005	356503	356503
16	344800	277564	0	0	622364	170782	381119	381119
17	344800	301700	0	0	646500	182262	407361	407361
18	344800	325836	0	0	670636	194507	435397	435397
19	344800	349972	0	0	694772	207743	465266	465266
20	344800	374108	0	0	718908	222213	497265	497265
21	344800	398244	0	0	743044	238297	531422	531422
22	344800	422380	0	0	767180	256200	568097	568097
23	344800	446516	0	0	791316	276393	607290	607290
24	344800	470652	0	0	815452	351516	649509	649509
25	344800	494788	0	694788	839588	383496	694788	694788

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी के आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर लोडिंग की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।
3. गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत

में अर्जित होंगी।

4. देय अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक होगा, वह होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ: संख्या: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी।

इस दृष्टांत में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य का संदर्भ ले।

उदाहरण II:

वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन_नए_ग्राहक
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	ABC
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	35
पॉलिसी अवधि:	25
प्रीमियम भुगतान की अवधि:	10
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	44,940
(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	वार्षिक

इस हितलाभ चित्रण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्ष–वार प्रीमियमों और हितलाभों को दर्शाना है।

पॉलिसी संबंधी विवरण	
पॉलिसी विकल्प	B
मूल बीमा राशि	200,000
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	449,400

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर[1]	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	44,940.00		44,940.00
प्रथम वर्ष जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	44,940.00		44,940.00
दूसरे वर्ष से जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	44,940.00		44,940.00

नोट: जीएसटी दर समय–समय पर लागू होगी। वर्तमान में यह छूट प्राप्त है।

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)"	वार्षिक प्रीमियम2 (संचित)	गारंटीड हितलाभ			गारंटीड हितलाभ		गैर गारंटीड हितलाभ	
		गारंटीड अभिवृद्धि[3]	उत्तरजीविता हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ[5]	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)[4]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)[4]	देय अभ्यर्पण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	44940	3146	0	0	452546	0	15621	15621
2	89880	9437	15000	0	458837	26964	36876	36876
3	134820	18875	0	0	468275	35071	59473	59473
4	179760	31458	15000	0	480858	79731	91561	91561
5	224700	47187	0	0	496587	89688	122589	122589
6	269640	66062	15000	0	515462	115205	166888	166888
7	314580	88082	0	0	537482	126322	207594	207594
8	359520	113249	15000	0	562649	158881	265288	265288
9	404460	141561	0	0	590961	177875	316638	316638
10	449400	173019	15000	0	622419	214478	388315	388315
11	449400	204477	0	0	653877	212701	399617	399617
12	449400	235935	15000	0	685335	225062	427659	427659
13	449400	267393	0	0	716793	222547	441551	441551
14	449400	298851	15000	0	748251	235502	472386	472386
15	449400	330309	0	0	779709	233882	489178	489178
16	449400	361767	15000	0	811167	247927	523165	523165

17	449400	393225	0	0
18	449400	424683	15000	0
19	449400	456141	0	0
20	449400	487599	15000	0
21	449400	519057	0	0
22	449400	550515	15000	0
23	449400	581973	0	0
24	449400	613431	15000	0
25	449400	644889	0	844889

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान सके।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर लोडिंग की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।

842625	247890	543261	543261
874083	263850	580773	580773
905541	266102	604569	604569
936999	284960	646125	646125
968457	290924	674268	674268
999915	314258	720559	720559
1031373	325577	753753	753753
1062831	423489	805612	805612
1094289	450171	844889	844889

3. गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी।
4. देय अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक होगा, वह होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ: संख्या: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी।

इस दृष्टांत में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य का संदर्भ ले।

उदाहरण III:

वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन_नए_ग्राहक
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	ABC
आयु:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
आयु:	35
पॉलिसी अवधि:	25
प्रीमियम भुगतान की अवधि:	10
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए):	43,190
(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम:	वार्षिक

इस हितलाभ उदाहरण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्ष–वार प्रीमियमों और हितलाभों को वर्ष–वार दर्शाना है।

पॉलिसी संबंधी विवरण	
पॉलिसी विकल्प	C
मूल बीमा राशि	200,000
मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	431,900

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर[1]	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	43,190.00		43,190.00
पहले वर्ष की जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	43,190.00		43,190.00
दूसरे वर्ष से जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	43,190.00		43,190.00

नोट: जीएसटी दर समय–समय पर लागू होगी। वर्तमान में यह छूट प्राप्त है।

(राशि रुपए में)

"पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)"	वार्षिक प्रीमियम2 (संचित)	गारंटीड हितलाभ					कोई गारंटीड हितलाभ नहीं	
		गारंटीड अभिवृद्धि[3]	उत्तरजीविता हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ[5]	गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)[4]	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)[4]	देय अभ्यर्पण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	43190	3023	0	0	434923	0	14852	14852
2	86380	9070	0	0	440970	25914	35095	35095
3	129570	18140	0	0	450040	48121	61242	61242
4	172760	30233	30000	0	462133	91042	93845	93845
5	215950	45350	0	0	477250	85027	117301	117301
6	259140	63489	0	0	495389	109551	159729	159729
7	302330	84652	0	0	516552	134650	209524	209524
8	345520	108839	30000	0	540739	165942	267254	267254
9	388710	136049	0	0	567949	168612	304101	304101
10	431900	166282	0	0	598182	203790	372947	372947
11	431900	196515	0	0	628415	216498	399296	399296
12	431900	226748	30000	0	658648	228377	427394	427394
13	431900	256981	0	0	688881	210377	425224	425224
14	431900	287214	0	0	719114	222826	454923	454923
15	431900	317447	0	0	749347	235685	486659	486659
16	431900	347680	30000	0	779580	249184	520605	520605
17	431900	377913	0	0	809813	233564	524511	524511

18	431900	408146	0	0
19	431900	438379	0	0
20	431900	468612	30000	0
21	431900	498845	0	0
22	431900	529078	0	0
23	431900	559311	0	0
24	431900	589544	30000	0
25	431900	619777	0	819777

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ लाभ का प्रवाह पहचान सके।

यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों) के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।
2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर लोडिंग की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं।

840046	248902	560750	560750
870279	265483	599390	599390
900512	283607	640805	640805
930745	273754	652613	652613
960978	296180	697479	697479
991211	321474	745405	745405
1021444	415573	797004	797004
1051677	425632	819777	819777

3. गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होंगी।
4. देय अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक होगा, वह होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ: संख्या: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी।

इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य का संदर्भ ले।

20. शिकायत निवारण तंत्र

निगम का:

ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालयों में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाइटः http://www.licindia.in) के माध्यम से ग्राहक–अनुकूल, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है, जहां पर कोई भी पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत/परिवाद का पंजीकरण करा सकता है और उसकी स्थिति को देख सकता है। किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक ई–मेल co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावों का अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग में जा सकता हैः

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करें।

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल करके

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पताः

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार हैः

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्य्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति ''धोखाधड़ी'' से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होंगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या: 512